(18)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 35/2020

डॉ0 राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी, मां बाला सती लॉ एसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड विघालय रोड, मुख्य बाजार, सरदारशहर, जिला चूरू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.06.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 35/2020 पर दिनांक 29.06.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /655–56 दिनांक 29.06.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20 /1454 दिनांक 16.07.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 26.01.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जबाब पत्रांक 1213 दिनांक 09.06.2020 के द्वारा भिजवाया जा चुका है तथा पुनः जबाब पत्रांक 456 दिनांक 22.06.2020 को भिजवाया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1454 दिनांक 16.07.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 26.01.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जबाब पत्रांक 1213 दिनांक 09.06.2020 के द्वारा भिजवाया जा चुका है तथा पुनः जबाब पत्रांक 456 दिनांक 22.06.2020 को भिजवाया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुंझुनूं